[ 10/7/2024]

प्रश्न सं. [ क्र. 2504 ]

परिशिष्ट—एक

विधान सभा प्रश्न क्रमांक —2504 (तारांकित)

## सर्वसंसाधन सम्पन्न विद्यालय आरंभ करने एवं परिवहन व्यवस्था के संबंध में मंत्रि—परिषद् का निर्णय

सर्वसंसाधन सम्पन्न विद्यालय स्थापित करने हेतु मंत्रि—परिषद् की बैठक दिनांक 22 जून 2021 में प्रस्तुत मंत्रि—परिषद् संक्षेपिका की कंडिका 3—"इस तरह के विद्यालय स्थापित करने का उद्देश्य यह है कि लगभग प्रत्येक बसाहट के 15 किमी के दायरे में एक उच्च गुणवत्तायुक्त विद्यालय प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हों, ताकि शैक्षणिक वातावरण में सुधार कर विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जा सके।" में मंत्रि—परिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

मंत्रि—परिषद् की उक्त बैठक में परिवहन व्यवस्था के संबंध में मंत्रि—परिषद् संक्षेपिका की कंडिका 6—"एक किमी से अधिक दूरी से आने वाले प्राथमिक कक्षाओं के तथा कक्षा 6 से 12 की कक्षाओं में अधिक दूरी से आने वाले विद्यार्थियों के लिये परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। अधिक दूरी से तात्पर्य निःशुल्क साईकिल प्रदाय योजना अंतर्गत पात्रता के लिये निर्धारित दूरी के मापदंड से है। अपवाद स्वरूप अत्यंत कठिन परिस्थितियों अथवा विशेष परिस्थितियों जैसे नेशनल हाईवे बीच में होने इत्यादि की स्थिति में यह सुविधा कम दूरी पर भी उपलब्ध कराई जा सकेगी। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के परिवहन हेतु मापदण्ड निर्धारण विभाग द्वारा पृथक से किया जाएगा" में मंत्रि—परिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

(आर.के.त्रिवेदी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

सहायक संचालक
लोक शिक्षण, संचालनालय